

असाघारण EXTRAORDINARY

HTT II—use 3—sq-use (i)
FART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशिव PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] No. 69] नई दिल्ली, गुकबार, फरवरी 6, 1987/माघ 17, 1908 NEW DELHI, FRIDAY, FEB. 6, 1987/MAGHA 17, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था वो जाती है जिससे कि मह अलग संकलन के रूप में रक्षा का मके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन महालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

ं नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1987

## भक्षि सूचना

सा. का. ति. 84(म्र).—प्रशासनिक मधिकरण भ्रधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 2 मार्च, 1987को उस तारीख के

1577 GI/86

(1

रूप में निर्दिष्ट करती है, जिस तारीख से उनत भाधनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के उपवंध लागू होंगे क्यों कि यह समिति सरकार के स्वामित्वाधीन या सरकार द्वारा नियंत्रित है तथा भारत सरकार कामिक, लोक शिकायत तथा पेंगन मंद्रालय (गामिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 2 मई, 1986 की स्थिसूचना संख्या सा. का. नि. 730(भ) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात:—उनत भ्रधिसूचना की भ्रनुसूची में, अन संख्या 6 तथा उससे संबंधित प्रविद्धियों के बाद निम्नलिखित भ्रम्तःस्थापित की जाएगी भ्रम्यातः—

''केन्द्रीय सामाजिक

सरकार द्वारा नियंत्रित

कल्याण बोर्ड

्ष प्राधिकरण

[ए-11019/97/86-ए.टी.]

श्रीमती पी. वी. बत्सला जी. बुट्टी, श्रवर सचिव

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 6th February, 1987

## NOTIFICATION

G.S.R. 84(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 2nd day of March, 1987 as the date on and from which the provisions of sub-section (3) of section 14 of the said Act shall apply to the Central Social Welfare Board, being an authority owned or controlled by Government, and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public

Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) No. G.S.R. 730(E) dated the 2nd May, 1986, namely:—

In the said notification, in the Schedule after serial number 6 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"7; Central Social Welfare Board.

An authority controlled by Government."

[No. A-11019]97[86-AT] Mrs. P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, KING ROAD, NEW DELIII-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELIII-110054, 1987